श्रम विभाग

शुद्धि-पत्र

दिनांक 20 नवम्बर, 1987

सं. श्रो. वि. एफडी/46681.—हरियाणा सरकार के अधिसूचना क्रमांक स. श्रो. वि./एफडी/26-87/28713, दिनांक 17 जुलाई, 1987 जो कि हरियाणा राज्य पत्रिका, दिनांक 25 अगस्त, 1987 के पृष्ठ 3232 पर छपा है, में संस्था का नाम "माडर्न इन्जीरियरिंग वर्कस" के स्थान पर "माडर्न इन्जीनियरिंग कम्पनी" पढ़ा जाए ।

सं. श्रो. वि. एफडी/82-87/46800.—हरियाणा सरकार के अधिसूचना क्रमांक स. श्रो. वि. एफडी/82-87/31784, दिनांक 11 अगस्त, 1987 जो कि हरियाणा राज्य पत्रिका, दिनांक 25 अगस्त, 1987 पृष्ठ 3240 पर छपा है, में संस्था के नाम में शब्द "अनिल" के स्थान पर "श्रोनील" पढ़ा जाये ।

आर० एस० अग्रवाल,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

The 11th November, 1987

No. 13234/217/1-L.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed urgently by the Governor at public expenses, for a public purpose, namely, for constructing Jajwan Minor from RD 0 to 3500 tail in village Jajwan of tehsil Jind, district Jind for which a notification has been issued under section 4 and published,—*vide* Haryana Government Irrigation and Power Department Notification No. 5331, dated 14th May, 1987, Haryana Government Gazette Part I.

It is hereby declared that the land described in the specifications below is required urgently for the above purpose.

This declaration is made under the provision of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, for information to all to whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, P.W.D. Irrigation Branch, Ambala is hereby directed to take order for the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Public Works Department, Jind and Executive Engineer, Jind Division Western, Jumuna Canal, Jind.

District	Tehsil	Name of Village	Hadbast No.	Area in Acres	Boundary
Jind	Jind	Jajwan	1	2.21	A strip of land 3,500 feet in length and varying in width generally laying South to North as per demarcation at site and shown on the Index Plan passing through the field Numbers as under :— 54 — 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 — 75 — 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23

District	Tehsil	Name of Village	Heabdast No.	Area in Acres	Boundary
					82 / 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19. 22, 23.
Jind	Jind	Jajwan	1	2.21	100 / 2, 3, 8, 9, 12/1, 13/1.
					Certified that all the field numbers falling in land propose to be acquired for this work have been shown above.

By order of Governor of Haryana.

M. L. KANSAL,

Superintending Engineer,
Western Jamuna Canal (West) Circle,
Rohtak.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 2 नवम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/रोह/48-87/43003.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक, के श्रमिक श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री आशा राम, गांव व डा० गड्डी खेड़ी, जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री नरेन्द्र कुमार हैल्पर की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/गुड़गांव/92-85/43011.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी स्टैण्डर्ड रबड़ मिल्ज, खान्डसा रोड़, गुड़गांव के श्रमिक श्री किशन देव मार्फत भारतीय मजदूर संघ, मुनीम मार्किट, गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक

अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री किशन देव ने स्वयं नौकरी छोड़ी है या उसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/148-87/43026.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० कैंग फार्म प्रा० लि०, गुड़गांव के श्रमिक श्री नेत राम मार्फत श्री भीम सिंह यादव, 1-सी/46-ए, एन. आई. टी., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री नेत राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/145-87/43033.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० कैंग फार्म प्रा० लि०, गुड़गांव, के श्रमिक श्री सूरज भान, मार्फत श्री भीम सिंह यादव, 1-सी/46-ए., एन. आई. टी., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री सूरज भान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/150-87/43040.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० कैंग फार्म प्रा० लि०, गुड़गांव, के श्रमिक श्री रमेश चन्द्र, मार्फत श्री भीम सिंह यादव, 1-सी/46-ए., एन. आई. टी., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री रमेश चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,

उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।